न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 03/2021
दायर दिनांक – 15.03.2021
निर्णय दिनांक –03.01.2022
जीसीएमएस नं0 – 2021/25

प्रार्थीया	बनाम	अप्रार्थी
1. श्रीमती लाडा देवी पत्नी श्री माधु जाति माली निवासी ग्राम देवरा बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1. श्री एस. के. चौधरी, अधि0, प्रार्थीया
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्किंग जमाबन्दी के नामान्तरकरण सं. 507 बेचान दिनांक 06.03.2006 के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड के खाता सं. 352 में खसरा नं. 338 रकबा 0.61 हैक्ट. में प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजी का नामान्तरकरण व खातेदारी इन्द्राज दुरूस्त कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार, पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया। इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पुष्कर/कोर्ट/2021/1898 दिनांक ...09.2021 द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में कथन किया कि "यह है कि बिन्दु सं. 01 में वर्णित वादी का कथन सत्य है कि ग्राम बांसेली के वर्किंग खसरा नं. 133 रकबा 03–15–10 बीघा में से 483.05 वर्ग गज भूमि शंकर श्रवण पिता जाली 1/2 हिस्सा मु. गागुड़ी बेवा बिरदा, कमला देवी पुत्री बिरदा 1/4 हिस्सा उगमा पुरण मोहन पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:38:23 IST
Reason: SelfAttested

03.01.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

1/4 हिस्सा कौम माली सा. देह बहैसियत मुख्तारआम माधु पुत्र रूपा कौम ...वासी देवरा बांसेली से जरिये पंजीबद्व दिनांक 07.01.2006 को क्र.स. 12/06 पृ.स. ...र पंजीबद्व उपपंजीयक कार्यालय पुष्कर में पंजीबद्व द्वारा क्रय की गई जिसका ...न्तरकरण जरिये नामा. सं. 507 दिनांक 06.03.2006 को हो चुका है। बिन्दु सं. 02 ...र्थी स्वयं सिंद्व करे। ग्राम बांसेली की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2065–84 में दर्ज मिलान ...त्रफल के अनुसार वर्किंग खसरा नं. 133 रकबा 03–15–10 बीघा का हाल खसरा नम्बर 338 रकबा 0.61 बना है। यह है कि बिन्दू सं. 4 में ग्राम बांसेली के वर्किंग खसरा सं. 133 रकबा 03–15–10 में से 03–00–10 बीघा भूमि क्रेता श्रीमती शक्ति भाटी पत्नी गोपाललाल भाटी द्वारा शंकर श्रवण पिता जाला 1/2 हिस्सा मु. भागुड़ी बेवा बिरदा, कमला देवी पुत्र बिरदा 1/4 हिस्सा, उगमा पुरण मोहन पिता सुरजकरण 1/4 हि. कौम माली सा. देह बहैसियत मुख्तारआम माधु पुत्र रूपा कौम माली निवासी देवरा बांसेली से क्रय की गई जिसकी नामान्तरकरण सं. 455 दिनांक 05.09.2005 से नामान्तरकरण हो चूका है। वर्किंग जमाबन्दी के बाद बनी मिसल बन्दोबस्त व आधार जमाबन्दी व वर्तमान सेग्रीगेशन जमाबन्दी में भी खसरा सं. 338 रकबा 0.61 हैक्ट पर शान्ति भाटी पत्नी गोपाललाल भाटी हिस्सा पूर्ण जाति माली सा. देह खातेदार का अंकन दर्ज है नामान्तरकरण सं. 507 स्वीकृत दिनांक 06.03.2006 अनुसार ग्राम बांसेली के साबिक खसरा नम्बर 133मि. क्षेत्रफल 00–15–00 बीघा चा.01 में से 133 मिन रकबा 483.05 वर्ग गज पर शंकर श्रवण पिता जाला 1/2 हिस्सा मु. भागूड़ी बेवा बिरदा कमला देवी पुत्री बिरदा 1/4 हि., उगमा पूरण मोहन पिता सूरजकरण 1/4 हि. कौम माली सा. देह खातेदार बहैसियत मुख्तारआम माधू पुत्र रूपा कौम माली निवासी देवरा बांसेली तहसील अजमेर के स्थान पर लाडा देवी पत्नी माधु कौम माली निवासी देवरा बांसेली शेष हिस्से पर इन्द्राज है उक्त नामान्तरकरण में मिन खसरा नम्बरान में से वर्गगज क्षेत्रफल 483.05 का नामान्तरकरण उल्लेखित है किन्तु खातेदारान की विशिष्टियों में कॉलम सं. 09 में हिस्से स्पष्ट उल्लेखित नहीं है जो कि नियमानुसार नामा. दर्ज न होकर नियमों के प्रतिकूल दर्ज हुआ है जब किसी कृषि भूमि का कोई अंश क्षेत्रफल के रूप में किसी पंजीकृत दस्तावेज के द्वारा हस्तानान्तरित होता है तो नामान्तरकरण के पृष्ठ पर हस्तानान्तरित क्षेत्र का तरमीमी नजरी नक्शा बनाया जाता है जिसकी पालना इस नामान्तरकरण में नहीं हुई है इस प्रकार नामा. सं. 507 तकनीकी रूप से विधिसम्मत नहीं होने से भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत वादीगण द्वारा वांछित दुरूस्तगी लिपिकीय त्रुटि नहीं होने से अनुशंषा किया जाना उचित नहीं है।''

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों, साक्ष्यों यथा – तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट, जमाबंदी की नकल एवं अन्य संलग्न दस्तावेजों से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि की वर्किंग जमाबन्दी के नामान्तरकरण सं. 507 बेचान दिनांक 06.03.2006 के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड के खाता सं. 352 में खसरा नं. 338 रकबा 0.61 हैक्ट. में प्रार्थीया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:38:23 IST
Reason: SelfAttested

03.01.22
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर (अजमेर)

राजी का नामान्तरकरण व खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती करना न्यायोचित नहीं

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण कार/खारिज किया जाता है। ग्राम बांसेली तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित जी कृषि भूमि की वर्किंग जमाबन्दी के नामान्तरकरण सं. 507 बेचान दिनांक 06.03. 006 के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड के खाता सं. 352 में खसरा नं. 338 रकबा 0.61 हेक्ट. में प्रार्थीया की खरीदशुदा आराजी का नामान्तरकरण व खातेदारी इन्द्राज दुरूस्ती करना उचित नहीं होने के कारण प्रार्थीया द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना संभव नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को मेरे द्वारा सरे—इजलास सुनाया गया।

03.01.22

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)
पुष्कर (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2022.07.04 10:38:23 IST
Reason: SelfAttested